उत्तराखण्ड राज्य

राजकीय महाविद्यालय देहरादून शहर

देहरादून, (उत्तराखण्ड)

दूरभाष :

7579267094

8979052515

9458909369

प्रवेश विवरणिका

(Prospectus)

Admission Prospectus 2022 - 23

श्रीदेवसुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाहीथौल से सम्बद्ध,
उत्तराखण्ड शासन देहरादून के अधीन संचालित

राजकीय महाविद्यालय देहरादून शहर देहरादून उत्तराखण्ड

संक्षिप्त परिचय

राजकीय महाविद्यालय देहरादून शहर, देहरादून उत्तराखण्ड की स्थापना 18 नवम्बर, 2021 में की गई। प्रारम्भ में महाविद्यालय को स्नातक (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) के 18 विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, भूगोल, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, संस्कृत, कम्प्यूटर विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

वर्तमान में महाविद्यालय चकराता राजमार्ग में स्थित महिला पॉलिटेक्निक सुद्धोवाला परिसर में संचालित किया जा रहा है। महाविद्यालय पठन–पाठन एवं छात्र–छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक आदर्श वातावरण प्रस्तुत करने में निरन्तर प्रयासरत है। खेलकूद की सुविधाओं के लिए महिला पॉलिटेक्निक के क्रीडा प्रांगण में शारीरिक सौष्ठव एवं विकास के लिए क्रीडा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ''महिला प्रकोष्ठ'' का गठन किया गया है। जहाँ छात्रायें गोपनीय रूप से अपनी शिकायतों को प्रकोष्ठ की शिकायत पेटिका में डाल सकती हैं। महाविद्यालय को रैगिंग मुक्त रखने के लिए ''ऐन्टीरैगिंगसैल'' का निर्माण किया गया है। सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन के लिए ''सांस्कृतिक क्लब'' का गठन किया गया है जो विभिन्न राष्ट्रीय दिवसों के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करता है। छात्रो के शैक्षिक उन्नयन हेतु पुस्तकालय की स्थापना भी की गयी है। भविष्य में इसके संर्वधन की आशा है । आगामी वर्षो में एन0एस0एस , एन0सी0सी एवं रोवर्स /रेंजर्स का भी गठन किया जाना सुनिश्चित है । सत्र 2021–22 में ऑनलाइन एवं ऑफ लाइन माध्यम से सभी कक्षाए सुचारू रूप से संचालित की गयी हैं

अध्ययन विषय एवं पाठ्यक्रम चयन

महाविद्यालय के तीन संकायों के अंर्तगत निम्नवत् पठन पाठन होता हैः–

कला संकाय

बी0ए0 (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) सत्र 2021–22 से लागू है। कला संकाय के अन्तर्गत निम्न विषयों में स्नातक स्तर पर अध्ययन की सुविधा है।

स्नातक– हिन्दी, अंग्रेजी , भूगोल, शिक्षाशास्त्र , गृहविज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, संस्कृत

अनिवार्य विषय :– पर्यावरण अध्ययन जिसे द्वितीय वर्ष में पूर्ण किया जाना है।

विषय चयन संबंधी नियम कला (संकाय)

1 बी0ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु छात्रों को तीन विषयों का चयन करना अनिवार्य है।

2 कोई भी छात्र हिन्दी, अंग्रेजी, तथा संस्कृत में से कोई दो विषय ही ले सकता है।

3 कोई भी छात्र मात्र दो प्रायोगिक विषयों का ही चयन कर सकता है।

4 भूगोल के साथ इतिहास का चयन नहीं किया जा सकता है।

5 भूगोल वे ही छात्र विषय के रूप ले सकते हैं , जिन्होने इन्टरमीडिएट में भूगोल विषय पढा हो।

विज्ञान संकाय

विज्ञान संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर निम्नलिखित विषयों की सुविधा उपलब्ध हैः–

- रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित , जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं कम्प्यूटर विज्ञान।
- विज्ञाान संकाय में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट में न्यूनतम 45% अंक अनिवार्य है।

विषय चयन संबंधी नियम (विज्ञान संकाय)

1 स्नातक स्तर पर निम्न दो वर्गो में से किसी एक वर्ग के विषयों का चयन किया जा सकता है।

वर्ग 1– रसायन विज्ञान , भौतिक विज्ञान, गणित , कम्प्यूटर विज्ञान।

वर्ग 2– जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान , रसायन विज्ञान ।

2 अनिवार्य विषयः–पर्यावरण अध्ययन जिसे द्वितीय वर्ष में पूर्ण किया जाना है।

3 प्रयोगात्मक विषयों में केवल उस विषय में स्नातक कक्षा में प्रवेश अनुमन्य होगा जिसका अध्ययन इन्टरमीडिएट स्तर पर किया जा चुका हो।

वणिज्य संकाय

बी0 कॉम0 प्रथम वर्ष में प्रवेश उन्ही अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जिन्होने –

1–इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा वाणिज्य के साथ उत्तीर्ण की हो

2–अनिवार्य विषय पर्यावरण अध्ययन जिसे द्वितीय वर्ष में पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

वाणिज्य संकाय

1. बी0कॉम0 प्रथम वर्ष में प्रवेश उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जिन्होंने,

(1) इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा वाणिज्य के साथ उत्तीर्ण की हो

(2) इंटरमीडिएट परीक्षा अन्य विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो किंतु उन्हें क्वालीफाइंग परीक्षा अलग से उत्तीर्ण करनी होगी

(3) अनिवार्य विषय पर्यावरण अध्ययन जिससे वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

शिक्षणेत्तर क्रियाकलाप

1. क्रीड़ा परिषद– छात्र छात्राओं के बौद्धिक एवं शारीरिक विकास के परिपेक्ष में पठन–पाठन के साथ–साथ क्रीड़ा गतिविधियों का होना भी आवश्यक है। प्रत्येक छात्र छात्रा खिलाड़ी को क्रीड़ा विभाग में अपने खेल विशेष हेतु पंजीकरण करवाना आवश्यक है। विश्वविद्यालय द्वारा कैलेंडर जारी हो जाने के बाद महाविद्यालय में चयन तिथियां निर्धारित की जाती है। प्रत्येक खिलाड़ी को अपने खेल विशेष से संबंधित अभ्यास कार्य में सम्मिलित होना अनिवार्य है। खिलाड़ियों का चयन क्रमशः (अ) तथा (ब) वर्ग में किया जाता है ।(अ) वर्ग में वे छात्र–छात्राएं आते हैं, जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं।

2. विभागीय परिषदें–

सभी विषयों में विभागीय परिषदों का गठन प्रतिवर्ष किया जाता है। जिसके माध्यम से विभिन्न शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों के अंतर्गत निबंध, क्विज ,सामान्य ज्ञान, वाद–विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है।

3. सांस्कृतिक परिषद

सांस्कृतिक परिषद के तत्वाधान में प्रतिवर्ष अंतर संकाय सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है ।जिसमें सुगम संगीत, कव्वाली, लोक गीत, लोक नृत्य, एकल नृत्य, एकांकी नाटक आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है।

विशेष निर्देश– महाविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी से अपेक्षा है कि वह अपनी रुचि एवं इच्छा अनुरूप प्रत्येक शिक्षणेत्तर क्रियाकलापों में अधिकाधिक प्रतिभाग करने का प्रयास करें तथा इस हेतु संबंधित प्रभारी से व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करें।

प्रवेश के संबंध में आवश्यक निर्देश:

1. विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय द्वारा सत्र 2022–23 स्नातक प्रथम वर्ष संकाय वार एवं विषय वार सीटें विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की गई है।

(क) विज्ञान संकाय –

भौतिक विज्ञान – 60

रसायन विज्ञाान – 120

गणित – 60

कम्प्यूटर – 60

जन्तु विज्ञान – 60

(ख) वाणिज्य संकाय–

1. बीकॉम प्रथम वर्ष – 80

(ग) कला संकाय – B.A. प्रथम वर्ष

1. हिन्दी– 60
2. अंग्रेजी–60
3. संस्कृत–60
4. राजनीति वि0– 60
5. अर्थशास्त्र –60
6. इतिहास–60
7. भूगोल–60
8. गृह विज्ञान –60
9. समाजशास्त्र–60
10. मनोविज्ञान–60
11. शिक्षाशास्त्र–60

2.(क) डाक द्वारा प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा

(ख) आवेदन पत्र भरने से पहले और विषयों के चयन करते समय अभ्यर्थी प्रवेश नियमों को अच्छी तरह पढ़ ले।

3. बी0ए0, बी0कॉम(इंटरमीडिएट कॉमर्स के साथ उत्तीर्ण) बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु समकक्ष परीक्षा में (अनुसूचित जातिध्जनजातिको छोड़कर) क्रमशः 40%, 40%एवं 45 % अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है । इंटरमीडिएट परीक्षा कला एवं विज्ञान विषयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के बी0कॉम0में प्रवेश हेतु समकक्ष परीक्षा में 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश में 5ः की छूट होगी।39.99%अथवा 44.9%को क्रमशः 40%अथवा 45% नही माना जायेगा।

4. स्नातक प्रथम वर्ष में सभी संकायों में प्रवेश मेरिट सूची के अनुसार होंगे।

5. प्रवेश प्रक्रिया(प्रवेश आवेदन भरने मेरिट सूची हार्ड कॉपी महाविद्यालय में जमा करने की तिथि काउंसलिंग की तिथि इत्यादि) की सूचना महाविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी ।

6. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु विवरणिका महाविद्यालय की वैबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है, प्रवेशार्थी आवेदन प्रत्र की सभी प्रविष्टियों को पूर्ण करने के बाद निर्धारित तिथि तक कालेज वैबसाइट में अपलोड करेंगे। महाविद्यालय में भरे हुए प्रवेश आवेदन पत्र और संलग्नको (स्थानांतरण प्रमाण पत्र टी. सी.),चरित्र प्रमाण पत्र (सी.सी.) एवं माइग्रेशन की मूल

प्रतियां जाति प्रमाण पत्र स्थाई निवास प्रमाण पत्र भारत के प्रमाण पत्र एवं भारांक के प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां इत्यादि) जमा करना आवश्यक है।

7. प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय स्वयं मूल प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित होना अनिवार्य है साक्षात्कार की सूचना सूचना पट्ट/वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी।

8. प्रवेश आवेदन पत्र जमा करने पर प्रवेशार्थियों की योग्यता सूची जारी की जाएगी ।सूची जारी होने पर निर्धारित तिथि तक संबंधित प्रवेशार्थियों को अपने मूल अभिलेखों के साथ स्वयं प्रवेश समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात प्रवेशार्थी को प्रवेश संस्तुत होने पर प्रवेश शुल्क निर्धारित तिथि तक आनलाइन जमा करना होगा । निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा न करने पर प्रवेश स्वतः निरस्त माना जाएगा। तत्पश्चात प्रतिक्षारत आवेदक को प्रवेश दे दिया जाएगा।

9. प्रवेश लेने के उपरांत संकाय/विषय परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

10. प्राचार्य को बिना कोई कारण प्रवेश न देने/निरस्त करने का अधिकार होगा।

11. प्रवेश की अंतिम तिथि सभी कक्षाओं के लिए है, लेकिन जिनकी परीक्षा फल बाद में घोषित होंगे उनसे संबंधित सभी कक्षाओं के लिए कक्षा में प्रवेश रिजल्ट घोषित होने के 20 दिन के अंदर तक होंगे। यह सुविधा केवल स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्र/छात्राओं के लिए होगी।

12. अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

13. अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्ग/ विकलांग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(EWS)के आरक्षण श्रेणी में आच्छादित होने के लिए निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

14. महाविद्यालय की गतवर्ष के विद्यार्थियों को आवेदन पत्र के साथ विगत परीक्षा की स्व प्रमाणित/ सत्यापित अंक तालिका (जिसे साक्षात्कार के समय मूल प्रति में प्रस्तुत करना होगा)जमा करना होगा।

15. महाविद्यालय की पूर्व छात्र अगली कक्षा हेतु आवेदन पत्र जमा करने से पूर्व पुस्तकालयाध्यक्ष से अदेय प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें ।अन्यथा उनके प्रवेश पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

16. विभिन्न संकायों/ विषयों की संभावित प्रवेश हेतु अलग–अलग आवेदन पत्र भरे जाने आवश्यक है ताकि आवेदक अपनी योग्यताअनुसार वांछित संकाय/विषय में प्रवेश प्राप्त कर सकें। जैसे यदि किसी छात्र/ छात्रा को यह आभास होता है कि उसका विज्ञान संकाय या वाणिज्य संकाय में प्रवेश नहीं हो सकता है तो वह उन दोनों संकायों की अतिरिक्त कला संकाय में भी प्रवेश के लिए पृथक आवेदन जमा कर सकता है। आवेदन पत्र एक विषय/संकाय से दूसरे विषय/संकाय में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

17.स्नातक स्तर की विभिन्न कक्षाओं के लिए मेरिट के आधार पर निर्धारत सीटों के लिए प्रवेश समितियों द्वारा साक्षात्कार के आधार पर प्रवेश संस्तुत किये जाते हैं।साक्षात्कार एवम प्रवेश स्वीकृति की सूचना नोटिस बोर्ड वेबसाइट द्वारा दी जाएगी पृथक से कोई सूचना नही दी जाएगी ।

18. प्रवेश के लिए संस्तुत किये गये प्रवेशार्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे निर्धारित तिथि के अंदर शुल्क आनलाइन जमा कर प्रवेश एडमिशन प्राप्त कर लें प्रवेश शुल्क रसीद वह संबंधित कक्षाओं में विषय वार प्राध्यापक को दिखा कर अपना नाम लिखवा ले।

19. किसी भी प्रवेशार्थी का आवेदन पत्र स्वीकृत करने या बिना कारण बताए अस्वीकृत निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को है किसी भी छात्र छात्रा द्वारा गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने या किसी भी आवश्यक तथ्य को छुपाने की जानकारी प्राचार्य को प्राप्त होने पर उसका प्रवेश अस्वीकृत या निरस्त कर दिया जाएगा।

20. जिन छात्र–छात्राओं की गतिविधियां अनुशासन मंडल प्रशासन की दृष्टि से अवांछनीय है उन्हें प्रवेश लेने से रोका जा सकता है ।

21. महाविद्यालय में प्रवेश आवेदन पत्र जमा करने तथा प्रवेश की अंतिम तिथि वही होगी जो श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित होगी।

22. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्येक छात्र छात्रा को प्रवेश आवेदन पत्र के साथ एंटी रैगिंग संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

23. सभी कक्षाओं में प्रवेश हेतु 90% सीटें उत्तराखंड के निवासियों के लिए होगी अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को अधिकतम 10% स्थानों पर वरीयता सूचकांक के आधार पर प्रवेश दे होगा।

24. अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को प्रवेश पूर्व अपने जिले के पुलिस अधीक्षक थानाध्यक्ष से पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र हस्ताक्षर नाम एवं शील सहित प्रस्तुत करना होगा।

25. अन्य राज्यों के प्रवेश आढ़तियों को बी.ए.प्रथम वर्ष, बी.कॉम. प्रथम वर्ष एवं बी.एस.सी. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने हेतु विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक सक्षम अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।

26. प्रवेश शुल्क जमा करने के बाद किसी भी प्रकार का शुल्क वापस नहीं होगा।

27. प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने पर प्रवेशार्थी के अभिभावक का स्थानांतरण देहरादून तहसील के अंतर्गत होता है तो ऐसे प्रवेशार्थी को रिक्त स्थान होने पर ही प्रवेश पर विचार किया जा सकता है।

28. अन्य महाविद्यालयों में प्रवेश ले चुके प्रवेशार्थी को इस महाविद्यालय में प्रवेश देय नहीं होगा।

29. महाविद्यालय में शासन के निर्देशानुसार एक ड्रेस कोड लागू होगा जो निम्नानुसार है।

छात्र – धूमिल सफेद (ऑफ वाइट) कमीज, भूरा पैंट (ब्राऊन चॉकलेट) ,काली स्वेटर, काले जूते

छात्रा– भूरा चॉकलेट कुर्ता, धूमिल सफेद (ऑफ वाइट) सलवार ,ऑफ वाइट दुपट्टा, काली स्वेटर ,काले जूते

<u>प्रवेश नियम सत्र – 2022 – 23 में निम्न नियम सभी कक्षाओं पर लागू होंगे</u>

- स्नातक कक्षाओं में प्रवेश लेने के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रवेश समितियां समितियों का गठन किया जाएगा जो कि अलग–अलग संख्याओं में प्रवेश से संबंधित कार्यों का दायित्व पूर्ण करेंगी तत्संबंधित संकायों मैं प्रवेश में उक्त समिति और प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा प्रवेश समिति द्वारा आवंटित विषयों में कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा प्रवेश का दायित्व प्राचार्य का होगा।
- बीए बीकॉम इंटरमीडिएट कॉमर्स के साथ उत्तर बीएससी प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु समकक्ष परीक्षा में अनुसूचित जाति जनजाति को छोड़कर क्रमशः 40–40 एवं 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है । अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश में 5% की छूट होगी 39.99% अथवा 44.99%को क्रमशः 40% अथवा 45% नहीं माना जाएगा

- राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण छात्र छात्रा स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्ह हैं जबकि कुलसचिव गढ़वाल विश्वविद्यालय के पत्रांक गढ़वाल विश्वविद्यालय परीक्षा 2008 दिनांक–3.5.2008 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक–23 –01– 2008 में गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन से पंडित परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को इंटरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष नहीं माना गया है अतः ऐसे छात्र छात्राओं को इस महाविद्यालय की किसी भी कक्षा में प्रवेश देय नहीं होगा
- चरित्र प्रमाण पत्र संस्थागत परीक्षार्थी पूर्व संस्था के प्रधानाचार्य का तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थी किसी राजपत्रित अधिकारी लोक सभा विधान सभा विधान परिषद के सदस्य अथवा किसी महाविद्यालय के प्राचार्य नियंता का प्रमाण पत्र संलग्न करें
- अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग के प्रवेशार्थियों को आरक्षण की सुविधा उत्तराखंड शासनादेश संख्या 1144 / कार्मिक / 2 /2001 /53 2001 द्वारा निर्धारित होगी जो इस प्रकार है।
- अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग उत्तराखंड के प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे ताकि नियमानुसार उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जा सके अनुसूचित जाति के छात्रों को 19% अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 4% अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को 14% लाभ दिया जाएगा , इसके अतिरिक्त उपरोक्त श्रेणियों में एवं सामान्य श्रेणी के सीटों में निम्न प्रकार क्षैतिज आरक्षण देय होगा, महिला 30% ,भूतपूर्व सैनिक 5% ,दिव्यांग 4% ,स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित 2% सभी कक्षाओं श्रेणियों में छात्राओं के लिए 30% सीटें आरक्षित होंगी आरक्षण केवल उत्तराखंड राज्य के अभ्यर्थियों के लिए होगा आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्गों के प्रवेश आढ़तियों को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 10% अतिरिक्त आरक्षण देय होगा
- अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण प्रवेश आढ़तियों को प्रवजन प्रमाण पत्र माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करना आवश्यक है किसी अन्य विश्वविद्यालय के छात्र को 1 माह के अंदर प्रवजन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है अन्यथा प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा

- अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को उसी कक्षा एवं संकाय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा इस विश्वविद्यालय से उत्पन्न उत्तीर्ण छात्र अथवा ड्रॉप आउट (ड्रॉप आउट से तात्पर्य है कि छात्र द्वारा विधिवत प्रवेश लेने के पश्चात पूरे सत्र अध्ययन किया हो) परीक्षा आवेदन पत्र भरा हो और किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित ना हुआ हो भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में शामिल हो सकता है स्नातक प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को अनुत्तीर्ण होने अथवा चिकित्सा के आधार पर व अन्य अवैध कारण पर केवल एक बार संकाय बदलकर प्रवेश दिया जा सकता है प्रवेश लेने से पूर्व प्रत्येक छात्र को स्थानांतरण प्रवजन प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा
- छात्र–छात्राओं को स्नातक स्तर पर 6 वर्ष तक ही संस्थागत विद्यार्थी के रूप में अध्ययन की सुविधा रहेगी जिसमें 1 वर्ष का गैप भी सम्मिलित रहेगा केवल वही छात्र भूतपूर्व छात्र का लाभ ले सकेंगे जिन्होंने पूरे सत्र अध्ययन किया हो अथवा विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश पत्र अनुक्रमांक दिया गया हो और उसने चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किया हो
- संकाय अथवा विषय बदलकर उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिसकी परीक्षा प्रवेशार्थी एक बार उत्तीर्ण कर चुका हो अर्थात एक संकाय की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उसी कक्षा दूसरे संकाय में प्रवेश नहीं ले सकेगा अर्थात एक बार स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात पुनः स्नातक कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा
- अनुचित साधन के प्रयोग के अंतर्गत दंडित छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- छात्र छात्राओं के परिचय पत्रों में भी विषयों का उल्लेख किया जाएगा।
- संस्थागत छात्र उपाधि हेतु एक ही सत्र में किसी भी अन्य शिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं लेगा और ना ही अन्य उपाधि हेतु परीक्षा में शामिल होगा, यदि कोई छात्र छात्रा इस नियम का उल्लंघन कर परीक्षा में शामिल हो जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी।
- विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत शैक्षणिक कैलेंडर महाविद्यालय पर भी लागू होगा।

- प्रवेश की अंतिम तिथि तक यदि 10+2 अनुपूरक या कंपार्टमेंट का परिणाम घोषित होता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है जिन्होंने निर्धारित तिथि तक प्रवेश आवेदन पत्र जमा किया हो अन्यथा वे प्रवेश हेतु अयोग्य होंगे।
- उत्तराखंड प्रदेश के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को प्रवेश के पूर्व अपना पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- कश्मीरी विस्थापित अभ्यर्थियों को प्रवेश तिथि में 30 दिनों की छूट के साथ–साथ न्यूनतम निर्धारित अंको के प्रतिशत में भी 10: की छूट दे होगी।
- रैगिंग एक गैर कानूनी गतिविधि घोषित की गई है रैगिंग में लिप्त विद्यार्थियों को नियमानुसार दंडित किया जाएगा।
- राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्ह हैं बशर्ते कि दसवीं के बाद 2 वर्ष का अंतराल तथा इंटरमीडिएट में पांच विषय है।
- 2 वर्ष से अधिक गैप के पश्चात प्रवेश नहीं मिलेगा यदि विद्यार्थी ने किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के पश्चात किसी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो और उसकी परीक्षा भी दी है तो इस अवधि को ज्ञापन नहीं माना जाएगा ऐसे अभ्यर्थी को भी स्नातक 6 वर्ष तथा स्नातकोत्तर 4 वर्षों में उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा उक्त अवधि सुनिश्चित करने पर ही अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जाएगा।

नोट : श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय टिहरी गढ़वाल द्वारा सत्र 2022–23 हेतु नवीनतम प्रवेश नियमावली महाविद्यालय को अद्यतन प्राप्त नहीं है अतः विवरणिका में सम्मिलित किए जा रहे प्रवेश समस्त प्रवेश नियम मात्र सुलभ संदर्भ हेतु समाहित किए गए हैं किसी भी संशय की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा जारी नवीनतम नियमों एवं आदेशों को प्रभावी माना जाएगा

स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए योग्य क्रम निर्धारण हेतु नियम :

वरीयता अंक अतिरिक्त अंक तभी दे होंगे जब छात्र छात्रा के द्वारा तक संबंधित प्रमाण पत्र की छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की गई हो और प्रवेश के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा अन्यथा की स्थिति में अतिरिक्त अंक दिए नहीं होंगे।

1 . राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को क्रमशः 5% अथवा 7% अंक देंगे।

2 . एनसीसी बी प्रमाण पत्र धारक को 2 अंक सी प्रमाण पत्र धारक को 3 अंक तथा गणतंत्र दिवस परेड राष्ट्रीय को 5 अंक।

3 . राष्ट्रीय सेवा योजना ए बी प्रमाण पत्र धारक या 240 घंटे. 2 विशेष शिविरों को 2 अंक सी प्रमाण पत्र धारक को 3 अंक तथा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर गणतंत्र दिवस परेड को 5 अंक।

4 . स्काउट में पद सोपान–01 धारक को 01 अंक तथा पदसोपान – 3 धारक को 2 अंक अतिरिक्त देय होंगे निपुण धारक को 01 अंक राज्य पुरस्कार धारक को 2 अंक तथा राष्ट्रपति पुरस्कार धारक को 3 अंक दे होंगे

नोटः उपरोक्त बिंदु 2, 3 व 4 में किसी भी दशा में 5 अंकों से अधिक लाभ नहीं दिया जाएगा।

5 . सेना में कार्यरत सैनिकों एवं केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीनस्थ अर्धसैनिक बलों के आश्रितों (पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री) को 3 अंकों का लाभ सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मिलेगा।

नोट 1 – अधिकतम देय अंक 15 ही होंगे।

2– क्रीडा एनसीसी/ एनएसएस में से किसी एक गतिविधि में एक से अधिक प्रमाण पत्र होने पर केवल एक प्रमाण पत्र अधिकतम अंकों वाले के अधिभार अंक दिए होंगे अर्थात यदि एनसीसी का **बी एवं सी** दोनों प्रमाण पत्र हेतु प्रवेशार्थी को केवल **सी प्रमाण पत्र** के अंक देय होंगे।

नोट : माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शासन के पत्र संख्या 153/XXIV (4)2017-09 (35)/2016 दिनांक– 6 जून 2017 एवं निदेशालय के पत्रांक डिग्री–विधि/ 3440–3557/ 2017–18 दिनांक 7 जून 2017 के माध्यम से महाविद्यालय में पूर्व में लागू उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों मंडल के विद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों महाविद्यालय के प्राध्यापकों कर्मचारियों के मालियों एवं पोषक विद्यालयों से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रदान किए जाने वाले वरीयता अंकों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।

उपस्थिति नियम

शासनादेश संख्या 528(1) 15 (उ0शि) 71/97 दिनांक–11 जून 1997 के अनुसार कोई भी संस्थागत छात्र विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब तक प्राप्त नहीं कर सकेगा जब तक कि वह व्याख्यान और प्रयोगात्मक कक्षाओं में पृथक पृथक 75% उपस्थिति पूरा नहीं करता निम्नलिखित परिस्थितियों में पूरे सत्र में किसी विषय में व्याख्यान व प्रयोगात्मक कक्षाओं में पृथक–पृथक 5% तक की छूट संबंधित विषय प्रश्न पत्र के प्रभारी अध्यापक जिसे प्राचार्य द्वारा अनुमोदित किया गया हो तथा 10% की छूट कुलपति द्वारा दी जा सकती है।

1 – विद्यार्थी की लंबी और गंभीर बीमारी में कक्षा में सम्मिलित ना होने के 15 दिनों के अंदर यदि विद्यार्थी ने चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा कर दिया हो या इसी के समकक्ष किसी अत्यंत विशेष परिस्थिति में समुचित कारण देने पर।

2– विश्वविद्यालय महाविद्यालय द्वारा आयोजित एनसीसी खेलकूद समारोह एनएसएस शिविर आदि के निमित्त जाने पर उपस्थिति में शिथिलता कर दी जाएगी समस्त कक्षाओं में उपस्थित प्रवेश शुल्क जमा करने की तिथि से गिनी जाएगी।

अनुशासन

महाविद्यालय में पक्ष शैक्षणिक वातावरण एवं अनुशासन बनाए रखने हेतु सास्ता मंडल का गठन किया जाता है सास्ता मंडल द्वारा महाविद्यालय में समय–समय पर नियम बनाए जाते हैं जिनका अनुपालन छात्र छात्राओं के लिए अनिवार्य है संस्था मंडल का दायित्व यह

सुनिश्चित करना है कि छात्राओं द्वारा नियमों का पालन किया जा रहा है विद्यार्थियों को ज्ञात होना चाहिए कि उसे किसी अनुचित व्यवहार व किसी नियम का उल्लंघन करने पर नियंता मंडल को पूर्ण अधिकार है कि वह विद्यार्थी के विरुद्ध उचित कार्यवाही निष्कासित कर सकता है दुर्व्यवहार करने वाले छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही इसलिए भी आवश्यक हो जाती है जिससे महाविद्यालय का वातावरण दूषित ना हो और छात्र–छात्राओं शिक्षकों व कर्मचारियों की शांति भंग ना हो तथा उनके नैतिक दायित्व कार्यों में कोई बाधा उपस्थित ना हो महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों से आशा की जाती है कि वे महाविद्यालय की गौरवशाली परंपरा का निर्वहन करते हुए संस्था में अनुशासन तथा स्वस्थ शैक्षिक वातावरण बनाने में सहयोग दें महाविद्यालय में विद्यार्थी किसी भी दशा में कानून अपने हाथ में ना लें और बल प्रयोग न करें यदि कोई शिकायत हो तो नियंता कार्यालय में तुरंत लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि नियंता मंडल उसकी छानबीन करके कार्यवाही सुनिश्चित कर सके महाविद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी निम्नलिखित बातों का अवश्य ध्यान में रखें तथा किसी भी स्थिति में उनकी अवहेलना ना करें।

मुख्य अपराध

- महाविद्यालय में आए किसी सम्मानित अतिथि के प्रति अभद्रता एवं निरादर प्रदर्शित करना
- महाविद्यालय के कर्मचारियों एवं प्राध्यापकों के प्रति वचन एवं कर्म द्वारा निरादर करना
- जाली हस्ताक्षर जाली कागजात झूठा प्रमाण पत्र एवं झूठा बयान प्रस्तुत करना
- वचन या कर्म द्वारा हिंसा अथवा बल का प्रयोग तथा धमकी देना।
- ऐसा कोई भी कार्य जिससे शांति व्यवस्था व अनुशासन को धक्का लगे या हानि पहुंचे और महाविद्यालय की छवि धूमिल हो।
- रैगिंग करना या उसके लिए प्रेरित करना उच्चतम न्यायालय द्वारा रैगिंग को एक जघन्य एवं दंडनीय अपराध घोषित किया जा चुका है।
- कक्षाओं में शिक्षण कार्य में व्यवधान उत्पन्न करना।
- परिसर में किसी राजनीतिक या सांप्रदायिक विचारधारा का प्रचार प्रसार या प्रदर्शन करना।

निषेध

- महाविद्यालय परिसर में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में यूजीसी द्वारा महाविद्यालय के 200 मीटर की परिधि में के अंतर्गत किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का क्रय एवं विक्रय तथा किसी भी रूप में इनका सेवन किया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। तथा इसका उल्लंघन करते पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही जुर्माने की व्यवस्था है।
- महाविद्यालय परिसर के कमरों की दीवारों कक्षों तथा दरवाजों आदि पर लिखना और उन पर विज्ञापन या पोस्टर लगाना।
- महाविद्यालय के भवन,बगीचे,फुलवारी अथवा संपत्ति को क्षति पहुंचाना।
- सत्ता द्वारा निर्गत आदेशों निर्देशों या शिक्षक द्वारा विद्यार्थी का परिचय पत्र मांगने पर इंकार करना।
- कक्षा के भीतर किसी भी रूप में कोई भी खाद्य पदार्थ विशेषकर स्विंगर्म पान मसाला तंबाकू उत्पाद जमाना आधी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है पालन न किए जाने पर कक्षा से निष्कासित किया जाएगा।

परिचय पत्र

महाविद्यालय के प्रत्येक संस्थागत छात्र को कार्यालय से परिचय पत्र अवश्य प्राप्त करना होगा परिचय पत्र हमेशा अपने साथ रखना छात्र के लिए आवश्यक है, यदि किसी आस्था मंडल का कोई सदस्य अथवा प्राध्यापक परिचय पत्र दिखाने को कहता है और उस समय यदि विद्यार्थी नहीं दिखाता है तो ऐसी स्थिति में उसे बाहरी (बाह्य) व्यक्ति समझा जाएगा तथा उसके विरुद्ध महाविद्यालय के नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

प्रथम बार निर्गत परिचय पत्र खो जाने पर दूसरा परिचय पत्र कार्यालय से निर्गत होता है किंतु दूसरा परिचय पत्र ₹50 जमा करने पर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा।

सुविधाएं

01. पुस्तकालय एवं बुक बैंक

01. सभी संस्थागत छात्र छात्राओं को स्नातक स्तर पर अधिकतम 3 पुस्तकें 15 दिन के लिए निर्गत की जाएगी 15 दिनों के पश्चात रुपये एक और 1 माह पश्चात दो रुपये प्रतिदिन प्रति पुस्तक अर्थदंड देय होगा।

02. सामान्य कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से अपराहन 2:00 बजे तक पुस्तकों का आदान–प्रदान वितरण व्यवस्था लागू है इस संदर्भ में समय–समय पर पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा पुस्तकालय सूचना पट पर चस्पा करवा दी जाएगी।
03. इस संबंध में महत्वपूर्ण है कि पुस्तकालय से पुस्तक के निर्गत करवाते समय पुस्तकों को भलीभांति जांच कर ली जाए कटी फटी तथा पृष्ठ गायब होने की स्थिति में पुस्तक वितरण करता को अवगत कराएं तदोपरांत पुस्तक की जिम्मेदारी संबंधित छात्र छात्रा की होगी।
04. मुख्य सत्रांत परीक्षा प्रारंभ तिथि से पूर्व पुस्तकालय में निर्गत पुस्तकों को पुस्तकालय में जमा कर दें या प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही परीक्षा प्रवेश पत्र दिया जाएगा अन्यथा परीक्षा प्रारंभ तिथि से प्रथम 15 दिन तक वित्तीय एक तदोपरांत रूपये दो प्रतिदिन प्रति पुस्तक अतिरिक्त अर्थदंड देय होगा।
05. पुस्तकों के क्षतिग्रस्त या खो जाने की स्थिति में उसी शीर्षक एवं लेखक की पुस्तक का नवीनतम संस्करण अथवा पुस्तक का दुगना मूल्य जमा करना होगा।
06. बुक बैंक से स्नातक स्तर पर छात्र–छात्राओं को समितियों की संस्तुति के आधार पर पुस्तक मूल्य का 10% जमा करने पर पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी।

02. शुल्क मुक्ति निर्धन सहायता कोष एवं छात्रवृत्ति

01. मेधावी तथा निर्धन छात्र छात्राओं को निर्धन छात्र सहायता कोष से सहायता प्रदान की जाती है।
02. शुल्क मुक्ति आवेदन पत्र के साथ आय प्रमाण पत्र गत परीक्षाओं की अंकतालिका की प्रमाणित प्रतियां तथा नए छात्र को यदि गत वर्ष शुल्क मुक्ति की सुविधा प्राप्त हुई हो तो उसका प्रमाण पत्र भी संलग्न करना आवश्यक है।
03. समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति /जनजाति/ पिछड़ी जाति के गरीब तथा विकलांग छात्र छात्राओं को निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

नोट : भारत सरकार विभिन्न संस्थानों राज्य सरकार एवं कार्यालयों द्वारा छात्रवृत्ति डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से प्रदान किए जाने की व्यवस्था लागू होने के से इसके लाभार्थियों से अपेक्षा है कि वे संबंधित संस्था से अथवा इनकी वेबसाइट के माध्यम से सीधे जानकारी प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

अन्य सुविधाएं

01. छात्र कल्याण परिषद के माध्यम से रोजगार संबंधी सूचनाएं सुलभ कराने की व्यवस्था है।
02. छात्रों की प्रतिभा का विकास करने के लिए महाविद्यालय द्वारा पत्रिका का प्रकाशन भविष्य में किया जाएगा जिसमें छात्रों की मौलिक रचनाओं को प्रकाशित करने की योजना है।
03. महाविद्यालय में राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा घोषित महत्वपूर्ण दिवस एवं महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय दिवस पर विभिन्न गतिविधियों /प्रतियोगिताओं /कार्यक्रमों का संचालन नियमित रूप से किया जाता है विद्यार्थी का दायित्व है कि वह इस संबंध में अपने विभाग से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर अधिकाधिक प्रतिभाग करें।

महाविद्यालय के महत्वपूर्ण संपर्क सूत्र

प्राचार्य कार्यालय : 7579267094

ईमेल महाविद्यालय : gdcdehradun2021@gmail.com

वार्षिक शुल्क विवरण (वर्ष 2022– 23)

स्नातक बी.एस.सी./बी.कॉम./बी.ए.

प्रवेश शुल्क	03.00
शिक्षण शुल्क	.....
प्रयोगशाला शुल्क	240.00
विकास शुल्क	20.00
महंगाई शुल्क	240.00
पुस्तकालय शुल्क	03.00
पंखा शुल्क	5.00
योग	511.00

छात्रनिधि

क्रीड़ा शुल्क	250.00
वाचनालय शुल्क	30.00
पत्रिका शुल्क	50.00
विद्युत शुल्क	60.00
परिषद शुल्क	50.00
छात्र संघ शुल्क	50.00
निर्धन छात्र सहायता	10.00
परिचय पत्र शुल्क	25.00
सांस्कृतिक परिषद शुल्क	50.00
प्रयोगशाला सामग्री शुल्क (प्रयोगात्मक विषय हेतु)	60.00
महाविद्यालय दिवस शुल्क	20.00

P.T.A. शुल्क	30.00
रोवर्स/रेंजर्स	60.00
प्रांगण विकास शुल्क	20.00
कैरियर काउंसलिंग शुल्क	30.00
कंप्यूटर रखरखाव शुल्क	70.00
प्रसाधन शुल्क	50.00
विविध शुल्क	100.00

सैद्धान्तिक (बिना प्रयोगात्मक) विषय शुल्कः–	**1286.00**
एक प्रयोगात्मक विषय शुल्क :–	**1586.00**
दो प्रयोगात्मक विषय शुल्कः–	**1646.00**
तीन प्रयोगात्मक विषय शुल्क (ZBC/PCC):–	**1706.00**

नोट–

- **विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क नामांकन शुल्क एवं उपाधि शुल्क (कक्षा /संकाय के अनुसार)**
- **परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय ऑनलाइन जमा करना होगा विश्वविद्यालय एवं शासन के निर्देश के अनुरूप शुल्क की धनराशि दी होगी।**

महाविद्यालय परिवार

डा0 मुक्ता डंगवाल

(प्रभारी प्राचार्य)

क्र0सं0	प्राध्यापक का नाम	पदनाम	विषय
01	डा0 कामना लोहनी	असि0 प्रोफेसर	इतिहास
02	डा0 रेनू गौतम	असि0 प्रोफेसर	गृह विज्ञान
03	डा0 सुनैना रावत	असि0 प्रोफेसर	अग्रेंजी
04	डा0 मंजू भण्डारी	असि0 प्रोफेसर	भूगोल
05	डा0 लीना रावत	असि0 प्रोफेसर	शिक्षा शास्त्र
06	डा0 अविनाश कुमार मिश्रा	असि0 प्रोफेसर	राजनीति विज्ञान
07	डा0 प्रदीप कुमार पेटवाल	असि0 प्रोफेसर	संस्कृत
08	डा0 कपिल सेमवाल	असि0 प्रोफेसर	हिन्दी
09	श्री रोहित सिंह नेगी	असि0 प्रोफेसर	समाजशास्त्र
10	डा0 प्रत्युषा ठाकुर	असि0 प्रोफेसर	जन्तु विज्ञान

महाविद्यालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की सूचि

क्र0सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम
01	श्री विपेन्द्र नारायण कोटियाल	प्रशासनिक अधिकारी
02	श्रीमती विनीता सुन्दरियाल	कनिष्ठ सहायक
03	श्रीमती अर्चना	प्रयोगशाला सहायक (भूगोल)
04	श्रीमती रश्मि व्यास	अनुसेवक
05	श्रीमती मोहिनी	अनुसेवक

06	श्री प्रताप सिंह	अनुसेवक
07	श्री पंकज	स्वच्छक